

कार्यालय सदस्य सचिव,
राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण, उ०प्र०,
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,
९वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

संख्या: /यूपीराभूजप्रविप्रा,

दिनांक/लखनऊ/दिसम्बर १९, २०२२

—: विज्ञापित :-

भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम, २०१९ की धारा-६ के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद स्तर पर गठित 'जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्' के माध्यम से भूजल निष्कर्षण किये जाने हेतु कूपों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत/नवीनीकरण एवं पंजीकरण किये जा रहें हैं। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भूजल निष्कर्षण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित Specific Conditions में औद्योगिक उपयोक्ताओं हेतु अंकित बिन्दु (iii) में १०० घनमीटर प्रतिदिन से अधिक भूजल निष्कर्षण करने वाले उद्योगों को Confederation of Indian Industries(CII)/Federation Indian Chamber of Commerce and Industry(FICCI)/ National Productivity Council(NPC), PHD Chamber of Commerce & Industries द्वारा प्रमाणित auditors से Annual Water Audit करवाने की शर्त है।

अतएव केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत Accredited Water Auditors की सूची के कम में उ०प्र० में वेब-पोर्टल के माध्यम से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित Specific Conditions में औद्योगिक उपयोक्ताओं हेतु अंकित बिन्दु (iii) में आंशिक संशोधन करते हुए, Annual Water Audit करवाने हेतु उक्त चारों ऐजेन्सियों के अतिरिक्त Laghu Udyog Bharati का नाम भी सम्मिलित किया जाता है।

उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

वी०के० उपाध्याय
सदस्य सचिव।

संख्या: ०४ /यूपीराभूजप्रविप्रा/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूजल प्रबन्धन परिषद्, उ०प्र०।
२. अनुसचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन।
३. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
४. समस्त नोडल अधिकारी, उ०प्र०।
५. वेब-पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।

(वी०के० उपाध्याय)
सदस्य सचिव।